Peer Reviewed
ISSN (P) : 2321-290X * (E) 2349-980X
RNI No. : UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Peer Reviewed / Refereed Journal

VOL-7* ISSUE-6* February- 2020

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF = 5.921 (2018)
GIF = 0.543 (2015)
IIJIF = 6.038 (2018)

UGC S.NO. 40880
Shrinkhla
UGC
approved listed

The Research Series
द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala
शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-7* ISSUE-6* February- 2020
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Contents

S.No.	Particular	Subject	Page No. From	Page No. To
1.	**Crusade against Corruption: The Impact of Anna Hazare Movement** Rohit Kumar Swami, Jaipur, Rajasthan, India	Political science	E-01	E-07
2.	आरक्षण की वास्तविकता : एक चिकित्सकीय अध्ययन **The Reality of Reservation: An Analytical Study** आर. जी.बाम्बोडे, मोर्शी, अमरावती, महाराष्ट्र, भारत	राजनीति विज्ञान	H-01	H-06
3.	महात्मा गाँधी का समाजवादी चिन्तन **Mahatma Gandhi's Socialist Thinking** अनुपम मित्र, रज़ा नगर, स्वार, रामपुर, उ0प्र0, भारत	इतिहास	H-07	H-09
4.	कोटा जिले के माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि तथा पारिवारिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन **Comparative Study of Inteliigence Quotient and Family Environment of Students who failed at Secondary level of Kota District** सुरेश चन्द्र गालव एवम् अनामिका राठौर, कोटा, राजस्थान, भारत	शिक्षक–प्रशिक्षण	H-10	H-15
5.	बालिकाओं की उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अध्ययन (नवलगढ़ तहसील के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन) **Study of Universalization of Upper Primary Education of Girls (A Geographical Study With Reference To Nawalgarh Tehsil)** प्रियंका, अजमेर, राजस्थान, भारत	भूगोल	H-16	H-19
6.	आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कबीर **Sant Kabir in Present Scenario** भरतलाल मीणा, जयपुर, राजस्थान, भारत	इतिहास एवं संस्कृति	H-20	H-26
7.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) **A Sociological Study of Education and Legal Awareness among Undergraduate and Graduate Students (With Special Reference to Chhindwara District)** फरहत मंसूरी, बिछुआ, छिंदवाड़ा, म.प्र., भारत	समाजशास्त्र	H-27	H-31
8.	भारत में फैशन का इतिहास : परिधान के विशेष सन्दर्भ में **History of Fashion in India: With Special Reference to Apparel** शालिनी आल्हा, श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत	कालेज शिक्षा	H-32	H-34
9.	गांधीय राजदर्शनः तत्वमीमांसीय अध्ययन **Gandhian Political Philosophy : A Metaphysical Study** सविता शर्मा, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीति विज्ञान	H-35	H-37
10.	देवली तहसील में कार्यात्मक संबद्धता का विश्लेषणात्मक अध्ययन **Analytical Study of Functional Connectivity in Deoli Tehsil** जुबेर खान एवम् निकिता मंगल, बूंदी, राजस्थान, भारत	भूगोल	H-38	H-41
11.	भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं प्रमुख संवैधानिक संशोधन : एक अध्ययन **Social Change and Major Constitutional Amendments in India: A Study** मुकेश कुमार वर्मा, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीति विज्ञान	H-41	H-48

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-7* ISSUE-6* February- 2020
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)

A Sociological Study of Education and Legal Awareness among Undergraduate and Graduate Students (With Special Reference to Chhindwara District)

फरहत मंसूरी
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बिछुआ, छिंदवाड़ा, म.प्र., भारत

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बीच शिक्षा एवं कानूनी जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में) किया गया है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि देखी गई है। महिलायें अब पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, शासन से लाभान्वित छात्राओं के कारण अन्य छात्राओं में भी जागरूकता आ रही है।

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, नौकरियों में आरक्षण एवं शिक्षा हेतु बैंकों से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा छात्राओं के कौशल विकास के लिए अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के कारण सामाजिक, पारिवारिक मानसिकता में परिवर्तन आया है। साथ ही छात्रायें शिक्षा एवं कानून के प्रति जागरूक हुई हैं।

In the research paper presented, a sociological study of education and legal awareness among undergraduate and postgraduate students (with special reference to Chhindwara district) has been done. Government schemes have an important role in the all-round development of female students, as a result of which the standard of living of women has increased. Women are now walking step by step with men, awareness among other girls is also coming due to the students benefiting from the government.

Free books, reservation in jobs and loans from banks are also being provided to the girls for all round development and many professional courses are being conducted for skill development of the girl students. The social, family mentality has changed due to government facilities. Also, students have become aware of education and law.

मुख्य शब्द : शिक्षा, सामाजिक, पारिवारिक, पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर।

Keywords : Education, Social, Family, Curriculum, Higher Education, Graduate and Post Graduate

प्रस्तावना

शोध पत्र में छात्राओं से महिला कानून के प्रति जागरूकता का भी अध्ययन किया गया है। इस विषय में छात्राओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिला शोषण की प्रकृति के कारण महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा प्राप्त होना एक दूषित मानसिकता है, जिसके कारण महिलायें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में असफल रहती है। अतः महिलाओं को शोषण से बचाने एवं उनकी स्थितियों को ऊँचा उठाने के लिए नये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सोच बदलने की एवं समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

शोध का क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र में अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए छिंदवाड़ा जिले के 14 शासकीय एवं 19 अशासकीय महाविद्यालयों में से छात्राओं की संख्या के आधार पर 6 महाविद्यालयों का चुनाव मेरिट के आधार पर किया गया है। मेरे द्वारा अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए 300 उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

October to December 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXXII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

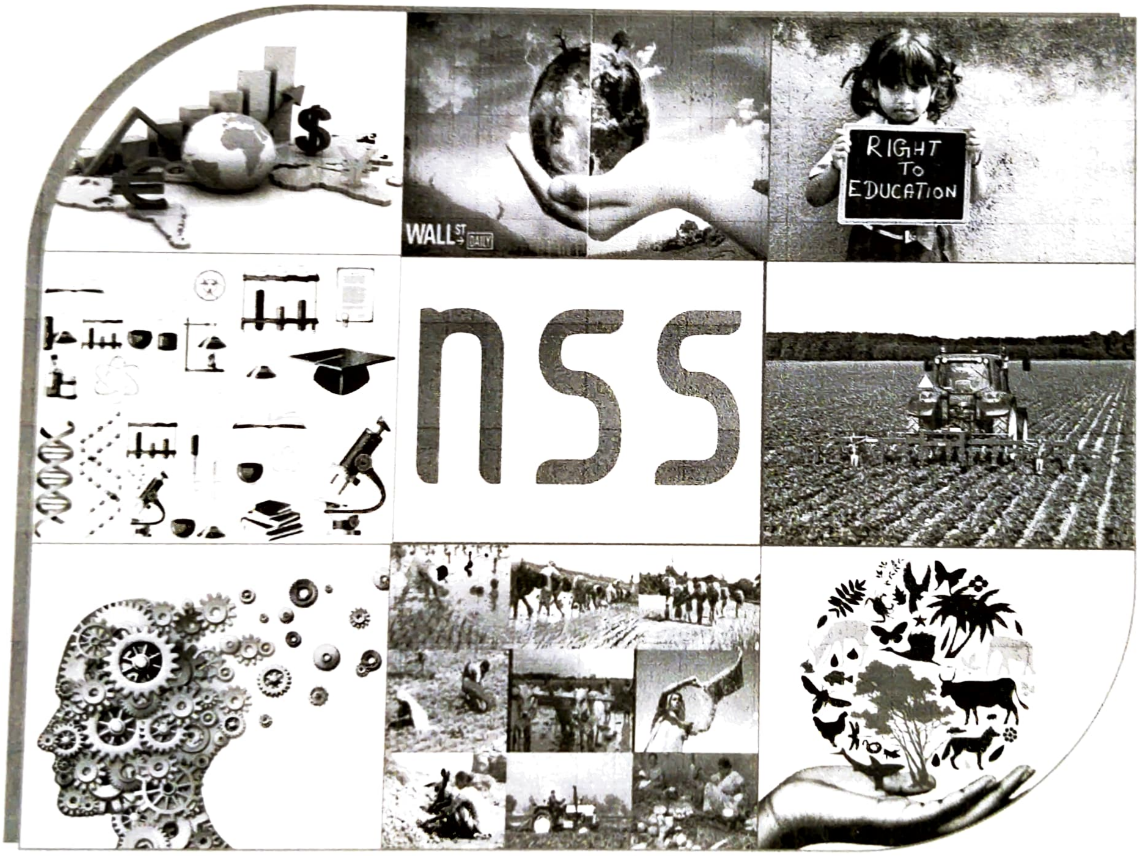

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 06/07

03. Referee Board 08

04. Spokesperson 10

05. Floristic Analysis of Weed Apecies in Crops Fields of Tribal District Dhar, M.P. India 12
(SL Muwel, SC Mehta)

06. Trends in Indian Food Processing Industry: Issues, Challenges and Ways Forward 19
(Dr. Kiran Kumar P)

07. Synthesis and Biological Evaluation of some new Acid Hydrazones derived from 5 -Aldehydo ... 26
Salicylic Acid (Malti Dubey (Rawat))

08. Uncertain Historiography of Ajivakas (Dr. Ashish Kumar Chachondia) 29

09. Significance of SAARC (Dr. Shrikant Dubey) 32

10. Analysis of Women Empowerment in India (Dr. Indresh Pachauri) 34

11. Awareness and Attitude on Effects of Substance Abuse Among Adolescents (Dr. Usharani B.) 37

12. Zinc Oxie Nanoparticles in Cosmetic Products (Renuka Thakur, Dr. S.K. Udaipure) 40

13. Effects of COVID 19 on Indian Agriculture (Dr. Savita Gupta) 44

14. Linear, Instantaneous and Compound Growth Rates of Major Food-Grain Crops 47
in India (Suresh Kumar,Sanjeev Kumar)

15. Dalchini and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar) 51

16. Fixed Point Theorems for Quasi- Ontraction with Applications 53
(Dhansingh Bamniya, Basanti Muzalda)

17. Study of Zooplankton density and physico-chemical parameters in Man dam district Dhar 55
(M.P.) India (Dr. D. S. Waskel, Dr. K.S. Alawa)

18. चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात - एक तुलनात्मक विश्लेषण (पूनम वासनिक) 59

19. महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन 61
(कोरोना वायरस के विशेष संदर्भ में) (डॉ. फरहत मंसूरी)

20. वर्तमान समय में हिन्दी नाटक (एन.आर. साव, डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग) 64

21. आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन में गुणवत्ता : अवधारणा, उपादेयता एवं महत्व (ओमप्रकाश चौरे) 69

22. शिक्षित जनजाति राजनीतिक चेतना का आकलन (डॉ. भूरेसिंग सोलंकी) 71

23. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियां (धार जिले के कुक्षी तहसील के 73
विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. रेशम बघेल)

24. मध्यस्थम् एवम् सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विवाद समाधान (रतन सिंह तोमर) 76

25. भारत में तृतीय लिंग की प्रस्थिती (डॉ.पूजा तिवारी) 78

26. कोरोना काल में मानव मुक्ति के मसीहा - गांधी जी (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 80

भारत में तृतीय लिंग की प्रस्थिती

डॉ. पूजा तिवारी *

शोध सारांश – भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पौराणिक गाथा काल से एक लंबा इतिहास रहा है। महाभारत में भी शिखंडी एवं अर्जुन के बृहनलल्ला रूप का वर्णन मिलता है। ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है ,जो उन्हें उनके जन्म के समय दी गई होती है । भारतीय संस्कृति और न्यायपालिका तीसरे लिंग को मान्यता देती है । इन्हें 'हिजड़ा' कहा जाता है । भारत में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी ,जो न पुरूष है और न ही स्त्री,यह कहते हुए कि 'तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है ,बल्कि यह एक मानवाधिकार मुद्दा हैं।'

शब्द कुंजी – किन्नर ,सामाजिक , मानवाधिकार ,लिंग प्रस्थिति।

प्रस्तावना – 'किन्नर' शब्द का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर अलग – अलग विद्धानों के द्वारा अलग–अलग तरह से दिए गए है। रिसर्च टी.पी.शर्मा के अनुसार शरीर एवं मन का तालमेल न होना ही किन्नर है। अर्थत यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्त्री का है किंतु मन 'पुरूष' का है ,तो उम्र बढ़ने के साथ –साथ उसमें मानसिक द्वंद प्रारंभ हो जाता है ,और वह 'किन्नर' बन जाता है ।

Transgender शब्द दो शब्दों से बना है – Trans + gender शब्द Trans का अर्थ के (उस) पार ,के परे ,दूसरी अवस्था में होता है है एवं gender का अर्थ 'लिंग' होता है । अर्थात् 'दूसरी अवस्था में लिंग'। यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्त्रीलिंग माना गया है किंतु वह स्वयं को 'पुरूषों' के रूप में देखता है तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसमैन कहते है ,इसके विपरीत अवस्था में उसे ट्रांसवुमन कहते है ।

अप्रैल 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर को 'तीसरा लिंग' अर्थात् Third gender घोषित किया। न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि 'शायद ही कभी ,हमारे समाज को उस आपात,पीड़ा और दर्द का एहसास होता है ,जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य गुजरते हैं ,और न ही लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को जन्मजात भावनाओं की सराहना करते है ,विशेष रूप से जिनके मन और शरीर ने उनके जैविक लिंग को अपनाने से इंकार कर दिया है ।'

भारत में किन्नरों की स्थिति – भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत ही कर दिया जाता है । उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि समाज में लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था चली आ रही है ,जिसके अनुसार केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग अर्थात् स्त्री एवं पुरूष समाज के अभिन्न अंग हो सकते है। किन्नरों को कई प्रकार के द्वंद से जूझना पड़ता है यथा मानसिक द्वंद सामाजिक द्वन्द ,परिवार के लोगों से द्वन्द ,पड़ोसियों से उपेक्षा,स्कूल –कॉलेज में उपहास आदि । द्वितीयक स्त्रोतो से ज्ञात होता है कि भारत में 95 प्रतिशत किन्नर बाल्यकाल में यौनशोषण का शिकार होते है जिसमें उनके पारिवारिक सदस्य चचेरे भाई, अंकल, पड़ोसी आदि शामिल होते है ,लगभग 80 प्रतिशत किन्नर अपने जीवनकाल में आत्महत्या का प्रयास भी करते है । किन्नर स्कूल के उपेक्षापूर्ण वातावरण के कारण स्कूल का त्याग कर देते हैं ,ट्रांसजेंडर मितवा संकल्प समिति की विद्या राजपूत मैडम के अनुसार किन्नरों में से केवल 2 प्रतिशत किन्नर ही समाज द्वारा स्वीकार किये जाते है ,40 प्रतिशत किन्नर हाईस्कूल से ड्राप आऊट हो जाते है ,मात्र 1 प्रतिशत ही विवाह कर पाते है तथा शत प्रतिशत मौखिक शोषण का शिकार बनते है । इनका परिवार नहीं होता है। लगभग 1000 बच्चों में से एक बच्चा जन्मजात किन्नर होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन्नर को मान्यता देने वाला भारत सातवाँ देश बन गया है ।

किन्नर के प्रकार – किन्नरों के मुख्य प्रकारों में 'सखी संप्रदाय' एवं 'शिवशक्ति संप्रदाय' होते है । जो क्रमश : मंदिर में किन्नर तथा शिव के उपासक किन्नर होते है । विद्या राजपूत जी के अनुसार जन्म से बच्चा एक लिंग में रहता है किंतु धीरे –धीरे शरीर एवं मन में अलगाव होता है ,और वह किन्नर बन जाता है।

किन्नरों की समस्या – भारत में लगभग पांच लाख किन्नर बसते है ,जिन्हें सबसे बड़ी यातना यह झेलना पड़ता है कि समाज उन्हें स्वीकार्य नहीं करता है । वर्तमान समय में कोरोना संकट के कारण रेलगाड़ी बंद होने,कार्यक्रम न के बराबर ,उत्सव न होने के कारण किन्नर समुदाय गरीबी से जूझ रहा है । किन्नरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन्नर परिवार के साथ नहीं रह सकते है। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच समाज द्वारा प्रतिबंधित है। इन्हें समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नही किया गया है । इन्हें यौन शोषण ,गंभीर बीमारियाँ उपहास, अशिक्षा, जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है । सबसे मुख्य बात इनकी समाज में कोई प्रस्थिति नहीं होती है, और विवाह नहीं होता है, समाज में विवाह को मान्यता देकर ही प्रस्थिति का आंकलन किया जाता है, मनुष्य अपनी प्रस्थिति बनाने के लिए समाज के सभी नियमों का पालन करता है और प्रस्थिति बनाने कुछ भी कर सकता है।

प्रोफेसर दिवाकर शर्मा के अनुसार किन्नर पैदा नहीं होते, मानसिकता के कारण किन्नर बन जाते है । विवाह न होने के कारण समाज ताने देता है लोग किन्नरों से दूर रहना चाहते है । परिवार जब इन्हें घर से निकाल देते है तब ये 'गुरू' के पास रहने जाते है, जहाँ पर ये लोग अपने ही जैसे लोगों के

* सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविघालय, बिछुआ, जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

साथ आजीवन रहते है। म.प्र.की शबनम मौसी किन्नर के पिता पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे किंतु उन्होंने समाज के डर से अपनी इस संतान का त्याग कर दिया था । यह घटना किन्नरों की दशा का कड़वा सच को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं।

किन्नर से मुख्य धारा तक आने के लिए कुछ किन्नरों ने कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता दिखाई है और अपनी सफलता की कहानियां लिखी है।

कलकी सुब्रमण्यम - सहोदरी फाउंडेशन की संस्थापक, दो स्नातकोत्तर की डिग्री ,सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार है ।

पद्मिनी प्रकाश - भारत की मिस ट्रांसजेंडर, प्रशिक्षित कथक नर्तकी, गायक कलाकार, पत्रकार, टी.वी. धारावाहिक में भी कार्य किया है ।

मधुबाई किन्नर - छत्तीसगढ़ की लोकनृत्य कलाकार तथा रायगढ़ की प्रथम नागरिक बनी।

भारती - थियोलॉजी में स्नातक डिग्री ,ईसाई धर्म का नामांकरण इंजीलवादी चर्च में पादरी तथा शादियों का आयोजन भी करवाती है ।

मानवी बन्धोपाध्याय - एंडलेस बॉल्डेज उपन्यास की लेखिका ,बंगाली महाविद्यालय में प्रोफेसर।

शबनम मौसी - भारत की प्रथम किन्नर विधायक म.प्र. से बनी तथा 12 भाषाओं की ज्ञाता ।

विद्या राजपूत - मितवा संकल्प समिति की संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता।

लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी - भारत का सर्वाधिक चर्चित चेहरा भरतनाट्यम नर्तकी ,सामाजिक कार्यकर्ता ।

कमला (जान) बुआ - देश की प्रथम किन्नर महापौर सागर में सन् 2009 में बनी।

लीला मनिमें कलाई - स्वतंत्र फिल्म निर्माता ,कवि ,अभिनेता ।

पृथिका यशिनि - भारत की प्रथम किन्नर पुलिस सब इंस्पेक्टर ।

जोइता मंडल - देश की प्रथम किन्नर न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त किया।

गौरी सांवत - मुंबई में साक्षी चार चौघी की निदेशक तथा ट्रांसजेडर कार्यकर्ता जो ट्रांसजेडर लोगों तथा एच.आई.वी/एडस रोग से ग्रसित लोगों की मदद करती हैं।

किन्नरों के संवैधानिक अधिकार - भारत में पहली बार सन् 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन्नर को तृतीय लिंग/थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तथा 17 दिसम्बर को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) 2018 विधेयक पारित हो गया। यह बिल ट्रांसजेंडरों के अधिकार के संरक्षण हेतू बनाया गया है किंतु इस बिल का विरोध देशभर में किन्नर समाज द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 'नालसा' नेशनल लीगल सर्विस अथॉटी में फैसले के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरूष एवं स्त्री के बाद 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता मिली। इस नये बिल के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांस अधिकारों के लिए मेडीकल सर्टिफिकेट की जरूरत पडेगी। इसी बात से किन्नर समाज स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है ।

ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम - ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2019 के अनुसार ट्रांसजेंडर को पढ़ाई करने शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का अधिकार है। कोई सरकारी या प्राइवेट संस्था नौकरी देने -प्रमोशन देने में भेदभाव नहीं कर सकता है । ट्रांसजेंडर को समस्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर को अपने घर में परिवार के साथ रहने का अधिकार है। कोई भी मकान मालिक उसे किराए से घर देने से मना नहीं कर सकता है। उसे प्रापर्टी खरीदने का हक है । ट्रांसजेंडर को पब्लिक एवं प्राइवेट आफिस खोलने का भी अधिकार है। इस बिल एवं कानून के मुताबिक किसी ट्रांसजेंडर को जबरन बंधुआ मजदूर बनाना ,सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना ,घर या गांव से निकालना ,शारीरिक हिंसा कर, आर्थिक तौर पर परेशान करना,अपशब्द कहना उपहास करना, मानसिक यातना देना ,अपराध की श्रेणी में आता है ।

दंड का प्रावधान - ट्रांसजेंडर के खिलाफ उपरोक्त सारे अपराध करने वाले को छः माह से दो साल तक की सजा हो सकती है एवं जुर्माना लग सकता है।

समिति का गठन - इस बिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कांउसिल नेशनल काउंसिल फार ट्रांसजेंडर पर्सन बनाने की बात कही गई है जो केन्द्र सरकार को सलाह देना। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष, सोशल जस्टिस राज्य मंत्री वाइस चेयर पर्सन तथा सोशल जस्टिस मंत्रालय के सचिव, हेल्थ ,होम अफेंयर्स, ह्यमन रिर्सोस डेवल्पमेंट मंत्रालयों से एक - एक प्रतिनिधि शामिल होंगे । नीति मनोयोग तथा नेशनल ह्यूमन राइटस कमीशन के भी सदस्य इस काउंसिल में शामिल होंगे। साथ ही ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी से पांच सदस्य और अलग-अलग एन.जी.ओ. से पांच विशेषज्ञ होंगे।

निष्कर्ष - भारत में किन्नरों को कई प्रकार से संवैधानिक कानून का संरक्षण प्राप्त है किंतु हकीकत में आज भी किन्नरों का जीवन अभिशप्त ही है, किन्नरों को सभ्य समाज के लोग समझना नहीं चाहते, आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार माँ बाप अपनी अपंग संतानों को भी लाड़ दुलार से पालन पोषण करते है, उसी प्रकार से किन्नर संतान का पालन पोषण सामान्य तरीके से करे,समाज के भय से, या लोग क्या कहेंगे, इस बात से डर कर अपनी संतान का त्याग न करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किन्नरों को तृतीय लिंग अर्थात् थर्डजेंडर के रूप से मान्यता दे दिया है तो सामयिक रूप से भी उन्हें मान्यता देना ही किन्नर की सामाजिक प्रस्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण - मैं हिजरा मैं लक्ष्मी।
2. सक्सेना आकांक्षा ब्लागर - किन्नर दिवस - एक अश्रु कथा
3. सिंग विजेन्द्र प्रताप - Katha aur kinner (story collection)
4. इंटरनेट पर उपलब्ध - विभिन्न ब्लॉग
5. भीष्म महेन्द्र - किन्नर कथा

****

July to September 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXXI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

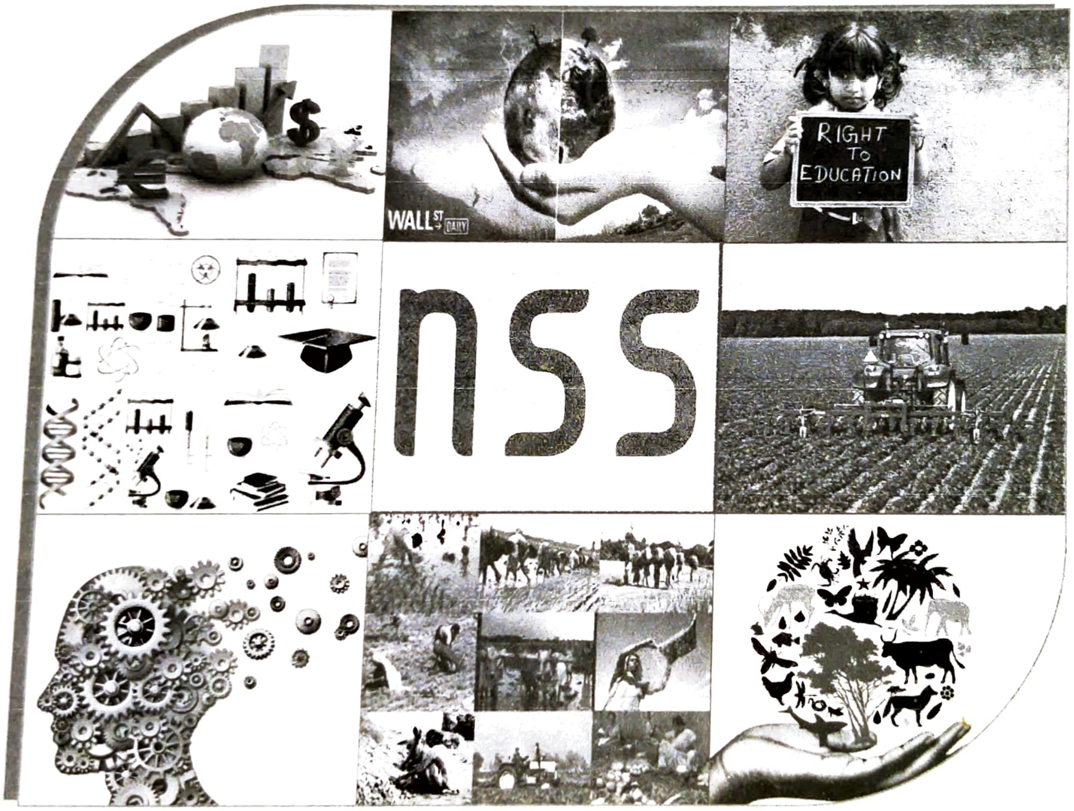

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 07/08

03. Referee Board 09

04. Spokesperson 11

05. Environmental Pollution- Its Effects On Life And Public Health - A Case Study Of Bhopal City Area , M.P. (Manisha Singh) 13

06. Risk Factors Associated With Diabetes Mellitus During COVID19 (Varsha Mathur, Dr. Divya Dubey) 16

07. A Study of Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation (MARKFED) (Ms. Meenakshi Shrivastava, Dr. Basanti Mathew Merlin) 20

08. Bioactive Entrapment and Targeting Using Nanocarrier Technologies (Renuka Thakur, Dr. S.K. Udaipure) 23

09. A Study of Customer's Perception with respect to Life Insurance Services of State Bank of India Life Insurance In Ujjain Division (Jitendra Sharma) 27

10. The Role of Professional Ethics in Teacher Education (Asmita Bhattacharya) 30

11. Synthesis And Photocatalytic Activity of $ZnO/H_3PW_{12}O_{40}$ – Supported Mordenite Composite (Renuka Thakur, Dr. S.K. Udaipure) 34

12. Effect of *Pterocarpus marsupium* (Vijayasaar) on Lipid Profile and Diabetic Quality of Life in Recent onset Type1 Diabetes (Dr. Bharti Taldar, Dr. Rohitashv Choudhary, Dr. Ritvik Agrawal, Dr. R.P. Agrawal) 37

13. वर्तमान परिदृष्य में साहित्य का अवदान (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री) 45

14. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डॉ.पूजा तिवारी) 48

15. कोराना काल (कोविड-19) में मानव स्वास्थ्य पर धूम्रपान (स्मोकिंग) का प्रभाव (डॉ. बसंती जैन) 50

16. छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक गीतों का सामाजिक संदर्भ (आदिवासी अंचल के तंत्र-मंत्र गीत) (एन.आर. साव, डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग) 52

17. महिला सशक्तिकरण चुनौतियां और संभावनाएं (श्रीमती नीतिनिपुणा सक्सेना, श्रीमती ज्योति पांचाल मिस्त्री) 54

18. मीडिया और बाजारवाद (डॉ. सुनीता शुक्ला) 57

19. भारत में बढ़ती जनसंख्या एवं उसका आर्थिक प्रभाव (डॉ. ए. के. पाण्डेय) 58

20. जनजातियों का भौगोलिक विवरण (डॉ. डी.पी. शार्मे) 61

21. शिक्षा एवं शैक्षणिक पर्यावरण का सामाजिक पर्यावरण पर प्रभाव एक अध्ययन (अपराध के विशेष संदर्भ में) (डॉ. ओंकार सिंह मेहता) 63

22. मुगलकालीन आर्थिक परिवेश (डॉ. सुनीता शुक्ला) 66

23. कक्षा आठ के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता एवं विभिन्न रूचियों का तुलनात्मक अध्ययन (आगरा जनपद के जगनेर शहर के सन्दर्भ में) (मनीष कुमार, डॉ. प्रमिला दुबे) 68

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) July to September 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXI

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

डॉ.पूजा तिवारी*

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती है। साधारण शब्दों में महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की आजादी देना,या उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके। विश्व को आधी आबादी महिलाओं की है तथा वे कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती है, किन्तु विश्व आय का मात्र दसवां हिस्सा वे प्राप्त कर पाती है तथा उन्हें विश्व संपत्ति में सौंवें हिस्से से भी कम हिस्सा प्राप्त हैं। दूसरी ओर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संचार क्रांति के फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक संचार सहित एक उद्योग के तौर पर एक उभरता हुआ क्षेत्र है। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है ,वर्तमान में सूचना क्रांति से समाज में शिक्षा ,स्वास्थ्य ,व्यापार ,प्रशासन ,सरकार ,उद्योग , ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। वर्तमान में महिलाओं की संख्या रोजगार में लगातार बढ़ रही है किंतु उन्हें कम वेतन ,असंतोषजनक हालात में काम करना पड़ता है। इस शोध पत्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डाला जायेगा।

शब्द कुंजी – सूचना प्रौद्योगिकी ,महिला सशक्तिकरण ,ग्रामीण सामाजिक , स्वास्थ्य।

उद्देश्य :-

1. ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं की वैयक्तिक ,पारिवारिक वैवाहिक दशा ज्ञात करना।
2. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ज्ञात करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र में संचालित महिला विकास कार्यक्रम की जानकारी एकत्र करना।
4. ग्रामीण महिलाऐं को संचार सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों की जानकारी है की नहीं।

उपकल्पना :-

1. नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों द्वारा ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. सूचना तकनीक की सहायता से निर्धनता एवं बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।
3. जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष बल देकर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है।

समग्र एवं निर्दशन – अध्ययन का क्षेत्र छिन्दवाड़ा जिले की बिछुआ तहसील के पांच गांव में निवासरत महिलाओं पर अध्ययन केन्द्रित है। बिछुआ के ग्राम गोनी, मजियापार, जाखावाड़ी, उल्हावाड़ी एवं लोहार बतरी गांव में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति से 300 महिलाओं का चयन कर उनसे तथ्य संकलित किये गए है।

संकलन का स्रोत – मुख्य रूप से साक्षात्कार ,अनुसूची, अवलोकन द्वारा आंकड़ों का संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व लेख, पुस्तक, पत्र पत्रिकाऐं एवं समाचार पत्र से भी जानकारी ली गई।

विश्लेषण – जनसंचार साधनों के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र,पत्रिकाऐं आदि शामिल है। कृषक समाज पर रेडियो का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में आकाशवाणी द्वारा कृषि चर्चा तथा महिलाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है। रेडियो एवं टी.वी.के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के मानसिक विचारों में सशक्तिकरण,आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सशक्तिकरण दिखाई दे रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षर, शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुतायत में है , अत: पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी ग्रामीण महिलाएं विश्व से जुड़ जाती है। जनसंचार के साधनों से उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं वो अद्यतन रहती है।

सारणी क्रमांक 01 : महिला सशक्तिकरण पर जनसंचार साधनों के प्रभाव के विषय में उत्तरदाताओं के विचार

	प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	महिलाओं के विचारों में परिवर्तन	84	28
2.	महिलाओं की आर्थिक स्थिति में मजबूती	36	12
3.	नवीन कृषि तकनीक का ज्ञान	42	14
4.	नवीन योजनाओं की जानकारी	33	11
5.	कृषि के प्रति सकारात्म सोच का विकास	33	11
6.	कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि	33	11
7.	अन्य	39	13

इस सारणी से स्पष्ट होता है कि 28 फीसदी उत्तरदाता यह मानते है कि जनसंचार साधनों के प्रभाव के कारण महिलाओं के विचार में परिवर्तन आया है। 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है। 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कृषकों को नवीन कृषि तकनीकी का ज्ञान प्राप्त हुआ है। 11 प्रतिशत ने यह माना कि नवीन योजनाओं की जानकारी हुई है। 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हुआ है। 11 प्रतिशत ने माना कि

* सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला –छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है तेरह प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार जनसंचार के साधनों का ग्रामीण समाज पर अन्य प्रभाव भी पडे है।

सारणी क्र. 02 : वैज्ञानिक अविष्कारों का ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव

	प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि उत्पादन में वृद्धि	93	37
2.	आर्थिक निर्भरता में सहायक	69	23
3.	महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्थिति में सुधार	36	12
4.	कृषि संबंधों में परिवर्तन एवं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण	60	20
5.	कृषि कार्य संस्कृति में परिवर्तन	24	08
6.	अन्य	18	06

सारणी से स्पष्ट है कि 31 प्रतिशत ने माना कि वैज्ञानिक अविष्कारों से ग्रामीण समाज में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 23 उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक निर्भरता उत्पन्न हुई है। 12 फीसदी के अनुसार महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी है। 20 प्रतिशत ने माना कि कृषि संबंधों में बदलाव आया है एवं महिलाए आत्मनिर्भर हुई है ,8 फीसदी के अनुसार कृषि कार्य संस्कृति में परिवर्तन आया है तथा 6 प्रतिशत उत्तरदायित्वों के अनुसार महिलाओं पर अन्य प्रभाव भी पडे हैं।

सारांश एवं निष्कर्ष – स्वतंत्रता पश्चात् सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन वर्तमान में देश के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा पहुंच गई है। संचार क्रांति लाने का पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी को जाता है। संचार क्रांति आने से गांवों में भी रोजगार के संसाधन बढे हैं एवं महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है आज लगभग हर परिवार में मोबाइल है ,टी.वी.है ,आज लगभग प्रत्येक महिला निश्चित रूप से मोबाइल रखना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सायबर कैफे खुल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग कर नयी नयी जानकारियाँ प्राप्त कर रही है। इससे उनका ज्ञान बढ़ रहा है एवं उन्हें रोजगार भी मिल रहा है साथ ही उनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति भी हो रही है जो महिला सशक्तिकरण का परिचायक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम – भारतीय सामाजिक व्यवस्था – रावत पब्लिकेशन्स जयपुर
2. शर्मा सुभाष – भारतीय महिलाएं दशा एवं दिशा
3. स्वाति के. – महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका (दि इन साइड)

****